

प्रेषक,

एल० वेंकटेश्वर लू,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
लखनऊ / पीलीभीत / बहराइच।

राजस्व अनुभाग-१०

लखनऊ : दिनांक : २६ फरवरी, २०१३

विषय: वर्ष २०१२-१३ में ओलावृष्टि के पूरक यथा-अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुँचाने हेतु अतिरिक्त धनावंटन।

महोदय,

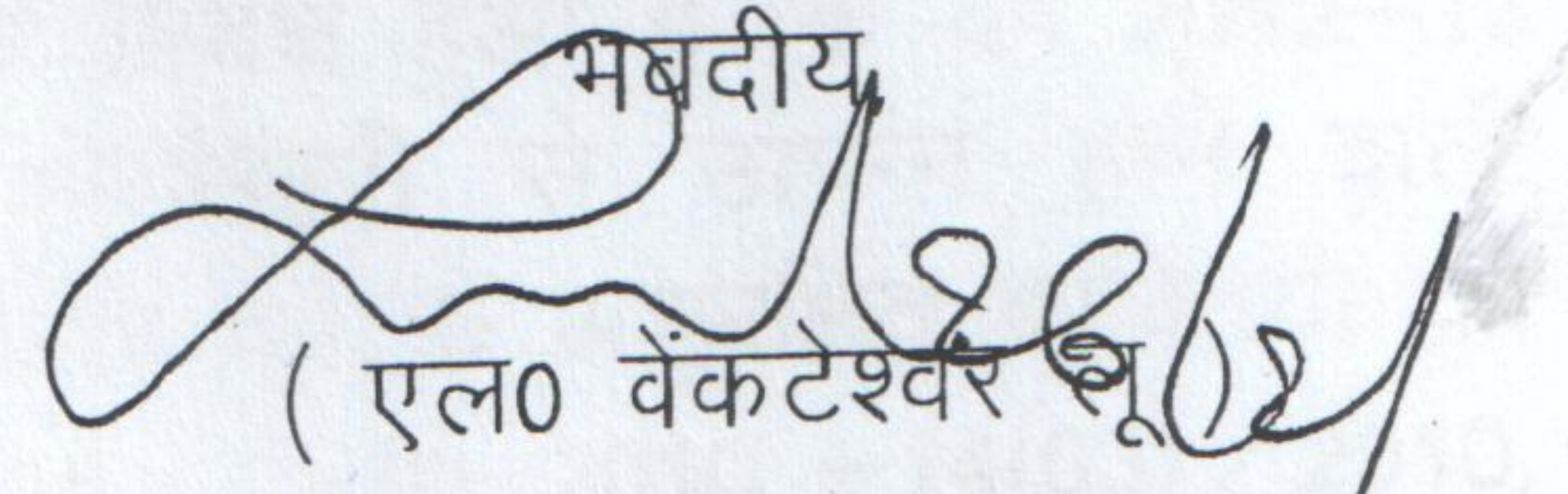
उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष २०१२-१३ में ओलावृष्टि के पूरक यथा-अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुँचाने हेतु धनावंटन हेतु शासनादेश संख्या-४०२४ / १-१०-२०१० -१४(६३) / २०१०, दिनांक २४ दिसम्बर, २०१० में दिए गए निर्देशानुसार प्रदेश में शीतलहरी के पूरक ओलावृष्टि, अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहर के प्रकोप से एम०एच०ए० पत्र संख्या ३२-७ / २०११-एन०डी०एम०-१, दिनांक १६ जनवरी, २०१२ द्वारा जारी भारत सरकार की गाइड-लाइन के आईटम नं०-३ के प्राविधान Provision for Temporary Accommodation, food, clothig medical care etc. for people affected evacuated, sheltered in relief camps के अनुसार गृह विहीन / निराश्रित / असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के बचाव हेतु शासनादेश संख्या-२६९० / १-१०-२०१२-१२(३४) / ०३टी०सी०-१, दिनांक २६ नवम्बर, २०१२ द्वारा प्रति तहसील कम्बल आदि हेतु रू० ५,००,००० / - व अलाव हेतु रू० ५०,००० / - की धनराशि स्वीकृत करते हुये जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखी गयी है।

२- उक्त के क्रम में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में शीतलहरी को दृष्टिगत रखते हुये राहत कार्यों हेतु अलाव जलाने एवं कम्बल आदि हेतु आप द्वारा की गयी मांग के क्रम में श्री राज्यपाल महोदय उल्लिखित विवरणानुसार निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन कुल धनराशि रू० १०,१५,५०० / - (रुपये दस: लाख पन्द्रह हजार पाँच सौ मात्र) आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र० सं०	जनपद	मद	जिलाधिकारी का सन्दर्भ	स्वीकृत धनराशि (रू० में)
१	लखनऊ	अलाव जलाये जाने में व्यय	२१७ / सी०आर०ए० / आपदा / शीतलहरी / १२-२०१३, दिनांक १४.०२.२०१३	२,३२,५०० / -
२	पीलीभीत	अलाव	४६० / दै०आ०लि०-१३, दिनांक २२.०१.२०१३	३,००,००० / -
३	बहराइच	क्रय किये	६२८ / आपदा-तेरह-शीतलहर-धनावंटन / १२,	४,८३,००० / -

	गये कम्बल	दिनांक 14.02.2013	
		कुल योग रू0	10,15,500 / -

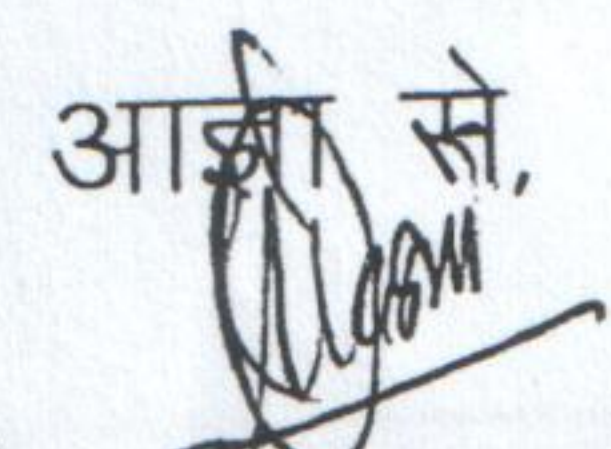
3. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-51 के अर्न्तगत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि उन्हीं मदों में व्यय की जायेगी जिस मद हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है और इसका उपयोग आवश्यकतानुसार किया जायेगा। उक्त धनराशि का व्यय किसी अन्य मदों में कदापित न किया जाये।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि यदि अवशेष बचती है तो उसे शासन को वापस की जायेगी।
6. शासनादेश संख्या-2690 / 1-10-2012-12(34) / 03टी0सी0-1, दिनांक 26 नवम्बर, 2012 की शर्तें यथावत रहेगी।


 (एल0 वेंकटेश्वर)
 सचिव एवं राहत आयुक्त।
 8

संख्या ९७। (1)1-10-2013-12(34) / 03 -टी0सी0-01 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-महालेखाकार-प्रथम / आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद
- 2-सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
- 3-आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4-वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ को राहतकीवेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड किये जाने हेतु।
- ✓ 5-वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ0प्र0।
- 6-मुख्य कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, लखनऊ / पीलीभीत / बहराइच।
- 7-वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग-5।
- 8-समीक्षा अधिकारी (लेखा) / समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10 / राजस्व अनुभाग-6 / 11, राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
- 9-निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व, उ0प्र0 शासन।
- 10-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

 (विनोद कुमार शर्मा)
 अनु सचिव।
 २